

प्रेषक

निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला ।

सेवा में,

निदेशक लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।


यादि क्रमांक वि.स.-I-16/
पंचकूला, दिनांक

विषय:- वर्ष 2016-17 के अधिसूचित पानियों की निलामी सम्बन्धित विज्ञापन ।

.....

उपरोक्त विषय पर आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक वर्ष की भांति वर्ष 2016-17 में हरियाणा राज्य के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा झरनों में मछली पकड़ने के अधिकारों की निलामी सम्बन्धित नोटिस (हिन्दी/अंग्रेजी) भाषा की दस-दस प्रतियां कम्प्यूटर द्वारा टाईप करवा कर आपको भेजी जाती है। कृपया इस निलामी सम्बन्धित विज्ञापन को किसी एक हिन्दी तथा किसी एक अंग्रेजी भाषा के हरियाणा तथा दिल्ली में प्रचलित समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की कृपा करें ताकि निलामी संबंधी प्रचार अधिक से अधिक हो सके । कृपया यह विज्ञापन दिनांक 14-6-2016 के समाचार पत्रों में पृ० 1,3 व अन्तिम को छोड़कर प्रकाशित करवाने की कृपा करें ।


संलग्न:-निलामी नोटिस हिन्दी तथा अंग्रेजी
भाषा की दस-दस प्रतियां ।


निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला ।

पृ० क्रमांक वि०स०-I-2016/ 685

पंचकूला, दिनांक 13-6-16

इसकी एक प्रति निलामी नोटिस की हिन्दी व अंग्रेजी की एक-एक प्रति सहित Managing Director, Hartron, Sector 17, Chandigarh को भेजते हुए अनुरोध है कि निलामी नोटिस को इस विभाग की वेबसाईट www.harfish.gov.in पर डालने का कष्ट करें ।
संलग्न:- उपरोक्त ।


निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला ।

निलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य के सभी जिलों के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा झरनों में वर्ष 2016-17 (1-9-2016 से 31-8-2017 तक) के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों की निलामी दिनांक 07.07.2016 को दोपहर 12.00 बजे खुली बोली द्वारा जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजेंसी, रेलवे रोड़, सोनीपत के कार्यालय में की जायेगी।

प्रत्येक जिले के पानियों को छोटे-2 टुकड़ों में या इक्टा नीलाम किया जा सकता है तथा कुछ जिलों के पानियों को इक्टा मिलाकर भी निलामी की जा सकती है। जिस भी तरीके से अधिक बोली प्राप्त होगी, उसी प्रकार बोली छोड़ी जायेगी।

प्रत्येक बोलीदाता को 15,000/-रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) बतौर धरोहर राशि निलामी शुरू होने से पूर्व जमा करवानी होगी जो कि सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी जमा करवाने वालों को बोली समाप्त होने पर वापिस कर दी जायेगी। जिस बोलीदाता की बोली मंजूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूरी धनराशि मौके पर जमा करवानी होगी अथवा ठेके की कुल बोली का 1/3 हिस्सा धनराशि मौके पर जमा करवानी होगी तथा 2/3 हिस्से की धनराशि निलामी की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर-2 जमा करवानी होगी। ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई 1/3 हिस्से की धनराशि, धरोहर राशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई कैश सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी। यदि उच्चतम बोली की धनराशि 15,000/-रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) से कम है तो पूरी धनराशि का मौके पर भुगतान करना होगा। जिस व्यक्ति के पक्ष में निलामी छोड़ी जायेगी उसको निलामी के तुरन्त बाद मत्स्य नियमों की ठीक प्रकार से अनुपालना के लिए कुल बोली की राशि के 5 प्रतिशत भाग के बराबर सिक्योरिटी जमा करवानी होगी।

जिला के पानियों की सूचि सम्बन्धित जिला के जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजेंसी के कार्यालय में किसी कार्यदिवस के समय प्राप्त की जा सकती है। ठेके की अन्य शर्तों व पानियों का विवरण निलामी के समय दिया जायेगा। जिस-2 जिला के अधिसूचित पानियों की निलामी दिनांक 07.07.2016 को पूर्ण नहीं होगी, उन जिलों के पानियों की निलामी आगे निम्न प्रकार से होगी। इच्छुक बोलीदाताओं को निम्नलिखित स्थान/समय पर पहुंचने के लिए अनुरोध किया जाता है।

निलामी की तिथि	निलामी का समय	निलामी का स्थान
14-07-2016	-उप-	कार्यालय: जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजेंसी, सोनीपत।
21-07-2016	-उप-	-उप-
28-07-2016	-उप-	-उप-

हस्ता/-

(आर0के0सागवान)

निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
पंचकूला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रचार हेतु भेजी जाती है:-

1. सभी उप-कार्यालय, मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा राज्य।
2. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
3. निदेशक मत्स्य पालन विभाग, पंजाब (चण्डीगढ़), हिमाचल प्रदेश (बिलासपुर), राजस्थान (जयपुर), तथा उत्तर प्रदेश (लखनऊ) एवं डिप्टी वार्डन आफ फिशरिज राजकीय मत्स्य बीज फार्म, जी.टी. रोड, सीलमपुर, दिल्ली-53.
4. सभी मछली ठेकेदार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक विकास एवं पंचायत हरियाणा, चण्डीगढ़।
6. सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य।
7. सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य।

हस्ता/-

(आर०के०सागवान)

निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
पंचकूला।

AUCTION NOTICE

Auction of Fishing rights of Notified Waters, Rivers, Canals and Drains of all the districts of Haryana State for the year 2016-17 (01-09-2016 to 31-08-2017) shall be put to open public auction on 07-07-2016 at 12:00 Noon in the office of District fisheries Officer-Cum-Chief Executive Officer, Fish Farmers Development Agency, Railway Road, Sonapat.

The Public waters of district can be auctioned in parts or whole waters of adjoining few districts may also be auctioned jointly.

Every bidder shall be required to deposit a sum of Rs. 15000/- (Rs. Fifteen Thousand Only) as earnest money, which shall be returned after the auction, to the bidders, except the successful bidder. The person whose bid accepted shall pay the amount of highest bid offered by him for fishing in full at the time of auction or shall pay $1/3^{\text{rd}}$ (one Third) amount of auction amount at the fall of hammer and the remaining $2/3^{\text{rd}}$ (two Third) amount within 30 days from the date of auction. In case of failure to deposit the remaining $2/3^{\text{rd}}$ amount by the bidder within the stipulated time of 30 days, the $1/3^{\text{rd}}$ amount already deposited by the bidder along with the earnest money and 5% cash security shall be forfeited. In case where the bid amount shall be less than Rs. 15000/- (Rs. Fifteen Thousand Only) the whole amount shall have to be deposited at the fall of hammer. The person in whose favour the auction is closed shall at the fall off hammer, also deposit an amount equal to 5% of contract amount as cash security for faithful observance of Haryana Fisheries Rules.

The list of waters of the district can be procured from the office of the District Fisheries Officer-Cum-Chief Executive Officer, Fish Farmers Development Agency, of the District concerned during the office hours on any working day. The other terms and conditions of the contract and detail of the waters shall be announced at the time of auction. The auction of fishing right of those districts which shall not be completed on 07-07-2016 shall be held as per detail given below. Interested bidders are requested to reach at the mentioned places and time.

Date of auction	Time of auction	Place of auction
14-07-2016	12:00 Noon hours	District Fisheries Officer-Cum-Chief Executive Officer, Fish Farmers Development Agency, Railway Road, Sonapat.
21-07-2016	12:00 Noon hours	-do-
28-07-2016	12:00 Noon hours	-do-

Sd/-
(R.K.Sangwan)
Director Fisheries Department Haryana,
Panchkula.

Endst. No. DA-I-2016/7842-7942 Panchkula, dated the 13-06-2016
A copy of forwarded to the following for information and

necessary action, please:-

1. All the sub Officer, Fisheries Department in Haryana State.
2. All Deputy Commissioners in Haryana State.
3. Director Fisheries & Warden, Punjab (Chandigarh), Director Fisheries Himachal Pradesh (Bilaspur), Rajasthan (Jaipur), Utter Pradesh (Lucknow) and Deputy Warden of Fisheries, Govt. Fish Seed Farm, G.T. Road, Seelampur, Delhi-53.
4. All Fish Contractor Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh.
5. Director Development & Panchayat, Haryana, Chandigarh.
6. All District Development & Panchayat Officer in Haryana State.
7. All Block Development & Panchayat Officer in Haryana State.

Sd/-
(R.K.Sangwan)
Director Fisheries Department Haryana,
Panchkula.

प्रेषक

निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला ।

सेवा में,

निदेशक,
लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

यादि क्रमांक वि०स०-1-2016/
पंचकूला, दिनांक


विषय:- विज्ञापन सामग्री ।

.....

मत्स्य विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई से 31 अगस्त (1-7-2016 से 31-8-2016) तक राज्य के अधिसूचित पानियों में गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है । इस सम्बन्ध में विज्ञापन सामग्री की दस प्रतियां संलग्न प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे हरियाणा राज्य में प्रचलित हिन्दी भाषा के किन्ही दो अखबारों में दिनांक 14.6.2016 के पृ० 1,3 व अंतिम को छोड़कर प्रकाशित करवाने की कृपा करें ।


संलग्न:-विज्ञापन सामग्री ।

पृ० क्रमांक वि०स०-1-2016/ 687


निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला ।

पंचकूला, दिनांक 13-6-16

इसकी एक प्रति मत्स्य पालन विभाग हरियाणा अपील की प्रति सहित Managing Director, Hartron, Sector 17, Chandigarh को भेजते हुए अनुरोध है कि मत्स्य पालन विभाग अपील को इस विभाग की वैबसाईट www.harfish.gov.in पर डालने का कष्ट करें ।
संलग्न:- उपरोक्त ।


निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला ।

मत्स्य पालन विभाग हरियाणा अपील

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजाब मत्स्य नियमावली 1914 तथा उसके अधीन बनाए गये हरियाणा मत्स्य नियम 1996 के अर्न्तगत राज्य के अधिसूचित पानियों में 1.7.2016 से 31.8.16 तक जालों द्वारा मछली पकडने पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। यदि इस दौरान कोई भी व्यक्ति जालों द्वारा अधिसूचित पानियों में मछली पकडता है तो उसके विरुद्ध मत्स्य नियमावली के अंतर्गत दर्शाई गई धारा के अनुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य के अधिसूचित पानियों में हरियाणा मत्स्य नियमावली 1996 की धारा-7 (5) के अर्न्तगत बिजली के करंट, डायनामाईटिक अथवा किसी हानिकारक विष्फोटक पदार्थ से मछली पकडना/मारना व जहरीला पदार्थ डालना भी कानूनन जुर्म है।

सर्व साधारण से अपील की जाती है कि हरियाणा राज्य के प्राकृतिक पानियों में मछली सम्पदा को बढ़ाने के लिये मत्स्य विभाग को सहयोग दे तथा मछली प्रजनन के समय माह जुलाई व अगस्त, 2016 में अधिसूचित पानियों में मछली का शिकार ना करें।

हस्ता/-
(आर0के0 सागवान)
निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
पंचकूला।